25 years CUTS International 1983 2008

CUTS CART

Government of Canada
High Commission of Canada, New Delhi

आजीविका संवाद...

a forum for livelihood dialogue

Under the Project: 'Promoting Greater Role of the *Panchayati Raj* Institutions in Rajasthan to Foster Rural Livelihood Opportunities: Meeting the Challenges of Globalisation and Economic Liberalisation'

No. 4, 2007

Training Programmes on Livelihood Intervention

Further to the residential training programme organised under the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) funded project entitled *Promoting Greater Role of the Panchayati Raj Institutions in Rajasthan to Foster Rural Livelihood Opportunities: Meeting the Challenges of Globalisation and Economic Liberalisation*, CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CUTS CART) organised a seven-day *"Training of Artisans & Panchayati Raj Members"* from August 30 to September 05, 2007 at village *Bahir* in Tonk district of Rajasthan.

A total of 45 artisans of *Aratari work* (a form of embroidery work on *sarees, salwar-suits, lehnga, chunari,* etc.) – 15 each from three different groups i.e. High Level, Middle and Low Level Groups and 15 *Panchayati Raj* members – received training on entrepreneurship, marketing and business development, formation of self help groups (SHGs) and funding schemes. Information about various government and non-governmental organisations (NGOs) working in the development of rural non-farm sector was also provided to the artisans. Further, the role and responsibilities of *Panchayati Raj* members for the development of their elected constituency was discussed.

At village, *Bada Naya Gaon*, *panchayat samiti Hindoli* of Bundi district, the training of artisans was held on September 08-12, 2007. About 45 artisans of sand stone carving of the three different groups and 15 *Panchayati Raj* members referred to above participated in the training programme.

Another training programme for the members of *Panchayati Raj* Institutions (PRIs) was organised at *Bada Naya Gaon gram panchayat* of Bundi district on September 13-14, 2007. RK Sharma of CUTS described in detail the various provisions, powers and role of *panchayats* that are enshrined in the 'Rajasthan *Panchayati Raj* Act, 1994' and explained how to promote the local livelihoods skills, resources and revenue. Around 35 participants inclusive of the ward members, *up-sarpanch*, local artisans and traders attended the workshop and freely discussed various issues to promote the stone carving work, which is the prime cottage industry in the area. Manish Dubey of CUTS facilitated the sessions and interacted with the participants.

Further on September 18-24, 2007, a seven-day residential training programme was organised at village and *panchayat samiti Aaspur*, Dungarpur district for 45 artisans of bamboo articles, divided in three different groups and 15 *Panchayati Raj* members as mentioned above.

Artisans of bamboo articles received training on entrepreneurship, marketing and business development, formation of SHGs and funding schemes etc. Also, information about various government and NGOs, working on the development of rural non-farm sector was provided to the artisans. The role and responsibilities of *Panchayati Raj* members for the development of their elected constituency were also discussed.

A view of the training programme

At village, *Jelu Gagadi*, *panchayat samiti*, *block Tinvri*, Jodhpur district on September 27-28, 2007, training was imparted to a total number of 45 artisans of cotton-carpets of the three different groups and *15 Panchayati Raj* members. In this training, DN Singh, former Field Officer, District Industrial Centre (DIC) was present for imparting knowledge on government schemes and programmes.

George Cheriyan and RK Sharma of CUTS attended the inaugural session of the training and facilitated the visit of Gail Cockburn, Counsellor (Development), Canadian High Commission, New Delhi.

INSIDE

- Gail Cockburn's Visit to Jodhpur & Jaipur 2
- Project Evaluation Meeting 2
- Rural Employment Guarantee Scheme 4

Gail Cockburn's Visit to Jodhpur & Jaipur

Gail Cockburn, Counsellor (Development) & Head of Development Cooperation, India/Bhutan/Accredited to Nepal, Canadian High Commission, New Delhi visited the project site, i.e. *Gram Panchayat Jelu Gagadi*, Block Tinvri Jodhpur district on September 28, 2007. This project site has been selected in close consultation with a leading local civil society organisation (CSO) namely, *'Gramin Vikas Vigyan Samiti'* (GRAVIS) . Gail was first taken to the village *Jelu Gagadi* where the rural artisans were making the cotton carpets/durries. Next, she visited the GRAVIS training centre where she was given a grand traditional welcome. She intimately interacted with the training participants and GRAVIS field workers. Manish Dubey coordinated the session with her. She was very much impressed with the progress made under the project. Later on, a meeting was organised at GRAVIS, where Gail, George Cheriyan and RK Sharma with GRAVIS officials and interns working at GRAVIS discussed the various issues related to carpet industry.

On October 02-03, 2007 the *Panchayati Raj* members were oriented on their role and responsibilities for the development of their respective constituencies. Also, information about various schemes and programmes of the government and NGOs, especially for the development of rural non-farm sector were provided to the artisans. Forms for Artisans Identity Card were distributed to the 15 artisans for getting enrolled as Artisans in DIC. These artisans were directed to form and register their SHGs to the norms of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), so that they could get maximum benefits from the schemes and programmes.

Gail Cockburn visited Udaipuria, target village in Jaipur, on October 26, 2007 to meet various stakeholders related to the project, including Project Consultative Group (PCG) for taking the livelihood initiatives forward.

George Cheriyan and Manish Dubey facilitated her visit while the female artisans performed traditional welcome. Manish Dubey introduced Toofan Singh Meena, a member of *Panchayat Samiti*, Govindgarh.

Gail conversed with the artisans on the benefits received from the training and further requirements of artisans for improvement in their livelihood. Toofan Singh Meena said that the artisans benefited with the training imparted to them

Gail Cockburn interacts with artisans in Udaipuria

A meeting with Gail Cockburn at Jelu Gagadi

but they need financial and marketing linkage for taking up the activity of product diversification whole heartedly.

Deepak Yogi, Secretary, *Shri Shyam Sanskriti Sewa Samiti*, a local NGO, told that CUTS is the only organisation that initiated the process of product diversification in the village. Gail along with George Cheriyan and Manish Dubey visited a nearby work station of artisans to have the first-hand interaction with them. Also, Gail visited CUTS office where Manish Dubey made a presentation on CFLI funded project.

Then Gail had an informal meeting with the members of PCG, which included ML Mehta, Former Chief Secretary & Deputy Chairman, Rajasthan Mission on Livelihoods; Rohit Brandon, Chairman & Managing Director, Rural Non-farm Development Agency (RUDA), Jaipur; Dr Sunil Ray, Institute of Development Studies (IDS), Jaipur; Sunny Sebastian, Special Correspondent, *The Hindu*; Vimal Jain, Senior Sub-editor, *Rajasthan Patrika*. The meeting took stock of the livelihood initiative.

Project Evaluation Meeting

The CFLI funded Project Evaluation Meeting was organised as a part of evaluation process and also to discuss the issue of further continuation of livelihood initiatives on November 23, 2007, at Maharani Plaza, Jaipur. Initiated by CUTS CART, this meeting aimed to incorporate the views and ideas of stakeholders.

Handloom and Handicraft Development Organisation (HHDO), Jaipur was assigned the task of evaluating the CFLI funded project. The partner NGOs, PRI members and artisans of seven selected/identified field areas/clusters and the Evaluators were invited to attend the Evaluation Meeting.

The Evaluator questioned the relevant stakeholders about the different aspects of the project and training imparted to them. The main points emerged out of this Evaluation Meeting were:

1. Need for long-term (around one to two months duration) skill/technical training;
2. Need to strengthen/develop the marketing and financial linkage;
3. Need for knowledge of appropriate raw materials at appropriate price; and
4. Need for more rigorous efforts to strengthen the capacities of PRI members and enhancing their outlook of development.

ग्रामोद्योग रोजगार हेतु

उद्योग विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाऐं

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जीविकोपार्जन हेतु प्रत्यक्षरूप से स्वरोजगार के अवसर प्रदान किया जाना साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार/नियोजन उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजनान्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो, परिवार की वार्षिक आय 40,000 रूपये से अधिक नहीं हो एवं वह उस स्थान का तीन वर्षों से स्थाई निवासी हो तथा वह किसी बैंक या वित्तीय संस्था का बाकीदार नहीं हों, को सेवा कार्य/उद्योग हेतु 2 लाख रूपये तक एवं व्यापार के लिए 1 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा देय है जिस पर 15 प्रतिशत अनुदान जो अधिकतम 7500 रूपये है तक देय है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है।

योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र-2 प्रतियों में सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होता है।

करघाघर योजना

हथकरघा बुनकरों को बुनाई कार्य में गति प्रदान करने एवं कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत वे समस्त बुनकर जो किसी सहकारी समिति के सदस्य हो अथवा हथकरघा निगम से जुड़े हो, जिनके पास स्वयं का करघा हो, नियमित बुनाई कार्य कर रहा हो, पात्रता रखते हैं। करघाघर निर्माण हेतु शहरी क्षेत्र में 10,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 7000 रूपये अनुदान राशि देय है। यह सहायता तीन चरणों में देय है। बुनकर द्वारा 3 मी x 3 मी x 3.5 मी. के करघाघर का निर्माण करना आवश्यक है।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

बुनकरों के कल्याण हेतु एल.आई.सी. के सहयोग से महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत बुनकर के स्वाभाविक निधन या दुर्घटना में अपंगता या मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत कुल 330 रूपये प्रीमियम देय है जिसमें 80 रूपए बुनकर का अंशदान, 150 रूपये भारत सरकार का तथा 100 रूपये भारतीय जीवन बीमा निगम का अंशदान है।

योजनान्तर्गत बुनकर की सामान्य या प्राकृतिक मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को 50,000 रूपये, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 80,000 रूपये, दोनों आँख या दो अंग या एक आँख व एक अंग स्थाई रूप से खराब होने पर 50,000 रूपये, एक आंख या एक अंग खराब होने पर 25,000 रूपये की आर्थिक सहायता देय है। बुनकर के दो बच्चों को 300 रूपये प्रति त्रैमास प्रति विद्यार्थी जो कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत हो, को छात्रवृत्ति दी जाती है।

हैल्थ इंश्योरेन्स योजना

हथकरघा में उत्पादकता वृद्धि पर अधिक बल देने की दृष्टि से बुनकरों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु हैल्थ इंश्योरेन्स योजना प्रारम्भ की है। सक्रिय रूप से बुनाई कार्य से जुड़े बुनकर स्वयं, पत्नी एवं दो बच्चों तक इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। बीमित बुनकर को 15,000 रूपये की सीमा में स्वयं/पत्नी और दो बच्चों की चिकित्सा सुविधा परिचर्या सूचीबद्ध चिकित्सालयों में अंतरोगी व बाह्य रोगी के रूप में प्राप्त होगी। इस योजनान्तर्गत कुल प्रीमियम राशि 1000 रूपए प्रति वर्ष देय है जिसमें 100 रूपए बुनकर, 100 रूपए राज्य सरकार तथा 800 रूपए केन्द्र सरकार का अंशदान है।

ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत बैठक में सम्मिलत ग्रामीण युवक

दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना

हथकरघा उद्योग के समग्र विकास के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई है। योजन के तहत आधारभूत ढाँचा, डिजाईन, विपणन, अनुसंधान, बाजार विकास सहायता एवं सामुदायिक क्षमता के विकास आदि के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम

(1) गृह उद्योग योजना: इस योजना के माध्यम से महिलाओं को घरेलू उद्योग स्थापित करने हेतु सक्षम बनाया जाता है, ताकि वे अपने परिवार के लिये अतिरिक्त आय जुटा सकें। योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अल्प एवं मध्यम वर्ग की महिलाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं, नेहरू युवा केन्द्रों, गैर सरकारी संस्थाओं एवं जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों में निश्चित अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(2) उद्यमिता विकास प्रशिक्षण: शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों को स्वरोजगार की ओर उन्मुख करने तथा स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित करने के लिए 2 सप्ताह का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

(3) चर्म प्रशिक्षण योजना: इस योजनान्तर्गत दस्तकारों को आधुनिक मांग के अनुसार उत्पादन करने के उद्देश्य से चर्म रंगाई, नागरा जूती, फैन्सी लेदन गुड्स, लेदर गारमेन्ट्स व लेदर टॉयज का 2 माह का प्रशिक्षण जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को चमड़े की जानकारी, कटिंग, डिजाइन्स, पेटर्न कटिंग, आधुनिक मशीन व औजारों से उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 300 रूपये प्रतिमाह की दर से दो माह के लिए प्रशिक्षण भत्ता एवं प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को 1000 रूपये तथा टूलकिट्स एवं औजार उपलब्ध कराये जाते हैं।

मार्गदर्शन ब्यूरो

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग तथा समस्त जिला उद्योग केन्द्रों में उद्यमी को उद्योग सहायता सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की जानकारी देने हेतु प्रौद्योगिक सूचना प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ द्वारा उद्यमी को उद्योग के चयन, स्थान, वित्तीय सहायता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मशीन, देय सहायता/सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जिले के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण के आधार पर संभावित उद्योगों की जानकारी दी जाती है।

उक्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग तथा जिला उद्योग केन्द्रों से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा उक्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.rajind.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रावर्तित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रचलित नाम मार्जिन मनी बैंक वित्त योजना) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बैंकों के माध्यम से राज्य में संचालित है।

1. **परियोजना पात्रता:** योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नई ग्रामोद्योगी परियोजनाऐं स्थापित की जा सकेंगी। पूर्व स्थापित उद्योगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
2. **पात्र गतिविधियां:** खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी नकारात्मक सूची में प्रकाशित उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रामीण उद्योग इस योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जा सकेंगे।

   ग्रामीण उद्योग का अर्थ है, ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो एवं जिसमें प्रति कारीगर (व्यक्ति) निवेश रूपये 50,000 से अधिक न हो।
3. **ग्रामीण क्षेत्र:** ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ है-
   - क) कोई भी ऐसा वर्गीकृत क्षेत्र जो राज्य के राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाँव की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।
   - ख) ऐसा कोई भी क्षेत्र जो कस्बे के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया हो लेकिन जिसकी जनसंख्या, 1991 की जनगणना के अनुसार 20 हजार से अधिक न हो।
4. **ऋण के लिए पात्रता:** इस योजना के तहत (क) व्यक्तिक (कामगार/उद्यमी), (ख) संस्थाएं, सहकारी समितियां एवं न्यास पात्रता रखते हैं। (साझेदार फर्म, प्राईवेट लिमिटेड कंपनियां, संयुक्त उद्यमी, संयुक्त ऋणी, कॉ-ऑब्लीगेटर अथवा एच.यू.एफ. इस योजना के पात्र नहीं है।)
5. **उद्योग की अधिकतम लागत सीमा:**
   25 लाख रूपयें।
6. **ऋण की मात्रा:** बैंक सामान्य श्रेणी के उद्यमी को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत राशि तथा कमजोर वर्ग के लाभग्राहियों/संस्थाओं के मामले में 95 प्रतिशत ऋण राशि स्वीकृत कर भुगतान करेंगे। परियोजना की लागत में भूमि की कीमत शामिल नहीं की जाएगी।
7. **उद्यमी का योगदान:** इस योजना के अन्तर्गत उद्यमी को परियोजना लागत की 10 प्रतिशत राशि स्वयं निवेश करनी होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय एवं अन्य कमजोर वर्ग के उद्यमियों के मामले में यह योगदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत होगा।
8. **मार्जिन मनी (अनुदान):** 10 लाख रूपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत की 25 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। 10 लाख रूपये से अधिक एवं 25 लाख रूपये तक वाली परियोजना के लिए मार्जिन मनी 10 लाख रूपये तक 25 प्रतिशत और परियोजना की शेष लागत के लिए 10 प्रतिशत होगी। कमजोर वर्ग के लाभार्थियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों/संस्थाओं तथा पर्वतीय, सीमावर्ती एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए मार्जिन मनी 10 लाख रूपय तक की परियोजना लागत के लिए 30 प्रतिशत की दर से तथा परियोजना की शेष लागत के लिए 10 प्रतिशत होगी।
9. **प्रायोजकता (स्पाँसरशिप):** किसी एजेंसी द्वारा परियोजना को प्रायोजित करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य/क्षेत्रीय कार्यालय और राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/जिला उद्योग केन्द्र, परियोजना का प्रायोजन उद्यमी के अनुरोध पर कर सकते हैं। आवेदक सीधा बैंक से भी आवेदन कर सकता है।
10. **बैंक:**
    - क) सभी सार्वजनिक बैंक।
    - ख) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
    - ग) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत किये गये बैंक यथा केन्द्रीय सहकारी बैंक/भूमि विकास बैंक/बैंक ऑफ राजस्थान।
11. **उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई.डी.पी.):** बैंक की किसी भी शाखा द्वारा परियोजना को मंजूरी देने के बाद उद्यमी को दूसरी किश्त जारी होने से पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य/क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नि:शुल्क प्रशिक्षण सुविधा भी उपलब्ध है।
12. **मार्जिन मनी का भुगतान:** बैंक द्वारा क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति के पश्चात् मार्जिन मनी की उपयुक्त राशि लैंडिंग बैंक शाखा में उद्यमी के नाम से 2 वर्ष की मियादी जमा में रखनी होगी, जिसको कि ऋण की प्रथम किश्त की भुगतान की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के पश्चात् उद्यमी के खाते में जमा करना होगा। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रायोजित आवेदन पत्रों की मार्जिन मनी का भुगतान बैंक की मांग पर सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी (खादी) द्वारा किया जावेगा।
13. **ग्रामोद्योग जो नहीं लगाये जा सकते हैं (नकारात्मक सूची):** ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत जो उद्योग खादी और ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, उनको ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्जिन मनी उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। नकारात्मक सूची निम्न प्रकार से हैं:
    - (अ) माँस (प्रशोधन, डिब्बाबंदी और/या परोसना) और नशीली सामग्रियां (उत्पादन/निर्माण/बिक्री)।
    - (ब) फसल उगाना, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन इत्यादि और खादी और पीलीवस्त्र।
    - (स) पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी परियोजना।

    नकारात्मक सूची के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्योग की स्थापना इस योजना के अन्तर्गत की जा सकती है जो कि उपयुक्त शर्तों को पूरा करते हों।

अधिक जानकारी और आवेदन फार्म हेतु निम्न में से किसी से भी कृपया सम्पर्क करें:

1. पंचायत समितियों में पदस्थापित ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी।
2. समस्त जिला उद्योग केन्द्र में पदस्थापित जिला अधिकारी (खादी)।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक/भूमि विकास बैंक।
4. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, श्री गोकुल भाई भट्ट स्मृति भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
   (निकट टेलीफोन एक्सचेंज), बजाज नगर मोड, जयपुर
5. खादी ग्रामोद्योग आयोग, झालाना डूंगरी संस्थानिक क्षेत्र, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

CUTS CART

a forum for livelihood dialogue newsletter: Published and composed by CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CART), D-222, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur 302 016, India, Phone: 91.141.513 3259, 228 2821, Fax: 91.141.228 2485, 228 2039 Email: cart@cuts.org, Website: www.cuts-international.org, Printed by: KBS Printers, Jaipur 302 001, India.

Supported by: Canada Fund for Local Initiatives (CFLI), Canadian High Commission, New Delhi.

CUTS International